न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चित्तौडगढ (राज0)
पीठसीन अधिकारी मनस्वी नरेश

दावा संख्या :— 5/2017

1. भगवानलाल पिता श्योराम उर्फ सोरम जी चमार निवासी चावण्डिया तह0 बेगूँ
2. कमलाबाई पत्नी भगवानलाल जाति चमार निवासी चावण्डिया तह0 बेगूँ

वादीगण

बनाम

1. मोहनीबाई पत्नी स्व0 लाला जी चमार निवासी चावण्डिाया तह0 बेगूँ
2. मोहनलाल पिता श्योमराम उर्फ सोराम चमार निवासी चावण्डिाया तह0 बेगूँ
3. शंकरलाल पिता रामा जी जाति चमार निवासी चावण्डिाया तह0 बेगूँ
4. प्रेमबाई पिता श्योराम उर्फ सोराम जी जाति चमार निवासी चावण्डिाया तह0 बेगूँ
5. बक्षुलाल पिता नन्दलाल जी जाति चमार निवासी चावण्डिाया तह0 बेगूँ
6. भूरा पिता तुलछा जी जाति चमार निवासी चावण्डिाया तह0 बेगूँ
7. श्रीमान भूमिधारी जी तहसीलदार साहब तहसील कार्यालय बेगूँ
8. शाखा प्रबंधक जी बैंक ऑफ बडौदा पारसोली तहसील बेगूँ
9. शाखा प्रबंधक चावण्डिया ग्राम सेवा सहकारी समिति दुगार तहसील बेगूँ

प्रतिवादीगण

उपस्थित ::— श्री कैलाश चन्द्र मंत्री
अधिवक्ता वादीगण
श्री शैलेन्द्र कुमार शर्मा
अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक :— 20.12.2024

निर्णय वादपत्र अन्तर्गत धारा 53—188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादीगण का वादपत्र इस प्रकार से है कि ग्राम चावण्डिया पटवार हल्का दुगार की वर्तमान जमाबंदी खतौनी संवत 2069 से 72 खाता संख्या 72 में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के संयुक्त खातेदारी में निम्नलिखित आराजीयात अंकित स्थित है :—

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर में
93	0.3640
98	0.2510
102	0.4210
103	0.7440
104	0.0240
105	0.3240
106	0.2430
107	0.5910
109	2.7120
110	0.2190
111	0.3000
112	0.5500
113	0.4940
114	0.9710
115	0.0240
116	0.0240

कीता— 16 रकबा 8.2560 हैक्टर

यह कि उक्त कलम संख्या 1 में वर्णित आराजीयात में वादी क्रमांक 1 का हिस्सा 1/12 वादी क्रमांक 2 का हिस्सा 5/32 प्रतिवादी सं0 1 का हिस्सा 3/32, प्रतिवादी सं0 2 का हिस्सा 1/12, प्रतिवादी सं0 3 का हिस्सा 1/24, प्रतिवादी सं0 4 का हिस्सा 1/24, प्रतिवादी सं0 5 का हिस्सा 1/4 एवं प्रतिवादी सं0 6 का हिस्सा 1/4 अंकित एवं निहित होकर स्थित है। मौके पर भी इसी अनुसार सभी सहखतोदार काबिज हो काश्त कर रहे है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौडगढ)

यह कि उक्त संयुक्त खातेदारी की कृषि आराजीयात का मौके पर मीट्स एण्ड बाउण्ड्स में विभाजन नहीं होने से एवं राजस्व रेकार्ड में पृथक पृथक दर्ज नहीं होने से आये दिन परेशानियां का सामना करना पड़ता है जिससे वादीगण ने प्रतिवादीगण को दिनांक 18.11.2016 को राजस्व कार्यालय में चल कर विधिवत हिस्सा विभाजन की कार्यवाही बाबत कहा तो उन्होने मना कर दिया जिससे वादी को यह वाद वास्ते विभाजन विरूद्ध प्रइतिवादीगण प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई है।

यह कि प्रतिवादी सं0 1 वादीगण से पारिवारिक एवं व्यक्तिगत कारणो से नाराज चल रही है जिससे एवं भमि विभाजन की बात कहने के बाद से वह वादीगण के कब्जे काश्त में दालदाजी कर रही है आये दिन वादीगण के हिस्से की भूमि की फसल को नष्ट कर देने की धमकियाँ दे रही है जिससे वादीगण को यह वाद विरूद्ध प्रतिवादी सं0 1 वास्ते स्थाई निषेधाज्ञा भी प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई है।

यह कि वाद कारण दिनांक 18.11.2016 को प्रतिवादीगण द्वारा विभाजन कराने से इंकार कर दिये जाने एवं प्रतिवादी सं. 1 द्वारा आये दिन धमकियाँ दिया जाने से उत्पन्न होकर हर रोज वर्तमान हैं। प्रतिवादी सं0 7 भूमिधारी जी एवं प्रतिवादी संख्या 8 व 9 का भूमि पर रहन दर्ज होने से ये तीनो आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाये गये है।

यह कि वादीगण न्यायालय श्रीमान से निम्नलिखित अनुतोष की प्रार्थना करते है कि :–

(अ) पक्ष वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण ग्राम चावण्डिया की वाद पत्र की कलम सं0 1 में वर्णित आराजीयात का अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी का वादी कमांक 1 का हिस्सा 1/12 वादी कमांक 2 का हिस्सा 5/32 प्रतिवादी सं0 1 का हिस्सा 3/32, प्रतिवादी सं0 2 का हिस्सा 1/12, प्रतिवादी सं0 3 का हिस्सा 1/24, प्रतिवादी सं0 4 का हिस्सा 1/24, प्रतिवादी सं0 5 का हिस्सा 1/4 एवं प्रतिवादी सं0 6 का हिस्सा 1/4 अंकित एवं निहित अनुसार मीट्स एण्ड बाउन्डस में विभाजन कर जरिये विभाजन खाता पृथक पृथक दर्ज किये जाने की डिकी प्रदान की जावें।

(ब) कि प्रतिवादी सं0 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वह वादीगण के हिस्से कब्जे की भूमि में सिकी प्रकार की दखलंदाजी न तो स्वयं करें एवं न ही किसी अन्य से करावें।

(स) कि अन्य कोई सहायता जो सुलभ वादीगण हो प्रदान की जावें।

वादीगण का वादपत्र न्यायालय मे प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, पत्रावली में प्रतिवादीगण सं0 1 से 6 की ओर से अधिवक्ता श्री शैलेन्द्र कुमार गुरूजी द्वारा अपना अधिकार पत्र प्रस्तुत किया। यह दावा पत्रावली जवाब दावे में विचाराधीन थी, इस दावा पत्रावली को लोक अदालत की भावना से निस्तारण किए जाने हेतु न्यायालय द्वारा दिनांक 16.5.2018 को लोक अदालत कैम्प दुगार पर रखा गया। लोक अदालत कैम्प में उपस्थित पक्षकार के समक्ष इस वाद पत्र को सुना जाकर निम्न प्रकार से प्राथमिक डिकी किया जाने के आदेश लोक अदालत में दिये गये :–

" अतः वाद वादीगण का धारा 53–188 आर.टी.एक्ट का स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि मौजा चावण्डिया प0ह0 दुगार के आराजी संख्या 93, 98, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116 कुल कीता–18 रकबा 8.256 हैक्टर भूमि में वादी संख्या 1 का हिस्स 1/12 हक हिस्सा व वादी सं. 2 का 5/32 हक हिस्सा भूमि का मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर कब्जेनुसार विभाजन कराये जाने हेतु तहसीलदार बेगूँ को 1000/–रूपये कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त कर प्राथमिक डिकी अलग से तैयार कर शामिल पत्रावली की जाकर फर्द बंटवारा रिपोर्ट मंगवाये जाने हेतु लिखा जाकर शेष खाता बदस्तूर रखते हुए पालना रिपोर्ट दिनांक 5.6.2018 को पेश हो"।

उक्त प्राथमिक निर्णय की पालना में कैम्प ही प्राथमिक डिकी तैयार की जाकर उसकी प्रति वास्ते प्रकरण में निर्णय अनुसार फर्द बंटवारा किये जाने हेतु तहसीलदार बेगूँ को दी गई जिसकी पालना में उनके द्वारा जरिये पत्र कमांक 1767 दिनांक 28.05.2024 के साथ फर्द बंटवारा रिपोर्ट मय नक्शाट्रेस के साथ इस न्यायालय को भिजवाई गई जिस पर अधिवक्ता वादीगण की बहस सुने जाने पर उन्होने प्राप्त बंटवारा अनुसार वादपत्र अंतिम डिकी किया जाने का निवेदन किया है । जिससे वाद वादीगण का निम्न प्रकार से अंतिम डिकी किया जाता है :–

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

अतः वाद वादीगण अन्तर्गत धारा 53-188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का मुताबिक ॰॰ बंटवारा अनुसार स्वीकार किया जाता है। मौजा चावण्डिया पटवार हल्का दुगार की कृषि आराजीयात आराजी संख्या 93, 98, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116 कुल कीता-18 रकबा 8.256 हैक्टर भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य बंटवारा निम्न प्रकार से किया जाता है तथा खाता पृथक पृथक राजस्व रिकोर्ड में अंकन किये जाने का आदेश दिया जाता है:-

1- श्री भगवानलाल पिता श्योराम उर्फ सोराम हिस्सा 17/49, कमबाई पत्नी भगवानलाल हिस्सा 32/49 जाति चमार सा0देह के खाते में :-

आराजी नम्बर	रकबा	विशेष विवरण
102	0.421 मे से 0.38	उत्तरी दिशा
103	0.744 मे से 0.44	उत्तरी दिशा
109	2.712 मे से 0.30	दक्षिणी दिशा
109	2.712 मे से 0.32	दक्षिणी दिशा
114	0.971 मे से 0.49	पश्चिमी दिशा

कीता-5 कुल रकबा 1.93 हैक्टर

2- वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम जमाबंदी हिस्सा अनुसार शामलाती रहेगा :-

आराजी नम्बर	रकबा	किस्म	विशेष विवरण
104	0.024	आ0चा0	
115	0.024	आ0चा0	
109	2.712मेसे 0.120	रास्ता (संलग्न नजरी नक्शाअनुसार)	

कीता-3 रकबा 0.168 हैक्टर

क.सं.	नाम खातेदार	हिस्सा	आराजी नं0	रकबा		विशेषविवरण
1-	गीता पत्री मोहनलाल	2/73	102	0.421 मे से	0.041	दक्षिणी दिशा
2-	गोपाल पुत्र भूरा	8/511	103	0.744 मे से	0.304	दक्षिणी दिशा
3-	चांदीवाई पुत्री भूरा रहन जमावंदीअनुसार	24/511	109 109	2.712 मे से 2.712 मेसे	1.000 0.972	उत्तरी पूर्वी उत्तरी पशचिमी
4-	झमकूवाई पत्नी स्व. भूरा	24/511	114	0.971 मे से	0.481	पूर्वी दिशा
5-	झमकूवाई पत्नी नन्दलाल रहन जमावंदी अनुसार	6/73	105	0.324	0.324	
6-	दाखीवाई पत्नी भैरूलाल	40/511	106	0.243	0.243	
7-	नानालाल पुत्र मोहनलाल रहन जमावंदी अनुसार	13/146	107	0.591	0.591	
8-	नानीवाई पुत्री भूरा	24/511	110	0.219	0.219	
9-	प्यारा पुत्र भूरा रहन जमावंदी अनुसार	24/511	111	0.300	0.300	
10-	प्रभूलाल पुत्र मोहनलाल	2/73	113	0.494	0.494	
11-	प्रेमवाई पुत्री श्योराम	4/73	116	0.024	0.024	

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

	बक्षुलाल पुत्र नन्दलाल 6/73 रहन जमाबंदी अनुसार	93	0.364	0.364
13–	मोडा पुत्र भूरा 24/511	98	0.251	0.251
14–	लादुलाल पुत्र नन्दलाल 6/73 रहन जमाबंदी अनुसार	112	0.550	0.550
15–	शंकरलाल पुत्र रामा 4/73			
16–	शंकरलाल पुत्र मोहनलाल 13/146 रहन जमाबंदी अनुसार			
17–	बालीबाई पुत्री नन्दलाल 6/73 रहन जमाबंदी अनुसार समस्त जाति चमार सा0देह खातेदार			

कीता–15 6.158 हैक्टर

उपरोक्त अनुसार खाता राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है साथ ही प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादीगण के हिस्से में एवं कब्जे काश्त में जबरन दखलंदाजी न तो स्वयं करें न अन्य किसी से करावें। वादीगण की फसल को नुकसान नही पहुँचावें।

यह अंतिम निर्णय आज दिनांक 20.12.2024 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ
जिला –चितौडगढ़

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूं जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठसीन अधिकारी मनस्वी नरेश

दावा संख्या :- 5/2017

1. भगवानलाल पिता श्योराम उर्फ सोरम जी चमार निवासी चावण्डिया तह0 बेगूं
2. कमलाबाई पत्नी भगवानलाल जाति चमार निवासी चावण्डिया तह0 बेगूं

वादीगण

बनाम

1. मोहनीबाई पत्नी स्व0 लाला जी चमार निवासी चावण्डाया तह0 बेगूं
2. मोहनलाल पिता श्योमराम उर्फ सोराम चमार निवासी चावण्डाया तह0 बेगूं
3. शंकरलाल पिता रामा जी जाति चमार निवासी चावण्डाया तह0 बेगूं
4. प्रेमबाई पिता श्योराम उर्फ सोराम जी जाति चमार निवासी चावण्डाया तह0 बेगूं
5. बक्षुलाल पिता नन्दलाल जी जाति चमार निवासी चावण्डाया तह0 बेगूं
6. भूरा पिता तुलछा जी जाति चमार निवासी चावण्डाया तह0 बेगूं
7. श्रीमान भूमिधारी जी तहसीलदार साहब तहसील कार्यालय बेगूं
8. शाखा प्रबंधक जी बैंक ऑफ बडौदा पारसोली तहसील बेगूं
9. शाखा प्रबंधक चावण्डिया ग्राम सेवा सहकारी समिति दुगार तहसील बेगूं

प्रतिवादीगण

निर्णय वाद अ0धा0 53–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री कैलाश चन्द्र मंत्री की उपस्थिती तथा प्रतिवादीगण की ओर से श्री शैलेन्द्र कुमार शर्मा की उपस्थिती में इस वाद अ.धा. 53–188 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक .... को पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बेगूं के समक्ष अंतिमत निपटारे हेतु उपस्थित होने से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्त0 अधि0 का स्वीकार किया जाता है। दावा अंतिम डिक्री किया जाता है :–

अतः वाद वादीगण अन्तर्गत धारा 53–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का मुताबिक फर्द बंटवारा अनुसार स्वीकार किया जाता है। मौजा चावण्डिया पटवार हल्का दुगार की कृषि आराजीयात आराजी संख्या 93, 98, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116 कुल कीता–18 रकवा 8.256 हैक्टर भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य बंटवारा निम्न प्रकार से किया जता है तथा खाता पृथक पृथक राजस्व रिकोर्ड में अंकन किये जाने का आदेश दिया जाता है:–

1– श्री भगवानलाल पिता श्योराम उर्फ सोराम हिस्सा 17/49, कमबाई पत्नी भगवानलाल हिस्सा 32/49 जाति चमार सा0देह के खाते में :–

आराजी नम्बर	रकबा	विशेष विवरण
102	0.421 मे से 0.38	उत्तरी दिशा
103	0.744 मे से 0.44	उत्तरी दिशा
109	2.712 मे से 0.30	दक्षिणी दिशा
109	2.712 मे से 0.32	दक्षिणी दिशा
114	0.971 मे से 0.49	पश्चिमी दिशा
कीता–5	कुल रकबा 1.93 हैक्टर	

2– वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम जमाबंदी हिस्सा अनुसार शामलाती रहेगा :–

आराजी नम्बर		रकबा	किस्म	विशेष विवरण
104		0.024	आ0चा0	
115		0.024	आ0चा0	
109	2.712मेसे	0.120	रास्ता (संलग्न नजरी नक्शाअनुसार)	
कीता–3	रकबा	0.168 हैक्टर		

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

नाम खातेदार — हिस्सा — आराजी नं० — रकबा — विशेषविवरण

सीता पत्नी मोहनलाल — 2/73 — 102
गोपाल पुत्र भूरा — 8/511 — 103 — 0.421 मे से 0.041 — दक्षिणी दिशा
कालीबाई पुत्री भूरा — 24/511 — 109 — 0.744 मे से 0.304 — दक्षिणी दिशा
रहन जमाबंदीअनुसार — 109 — 2.712 मे से 1.000 — उत्तरी पूर्वी
4- झमकूबाई पत्नी स्व. भूरा — 24/511 — 114 — 2.712 मे से 0.972 — उत्तरी पश्चिमी
5- झमकूबाई पत्नी नन्दलाल — 6/73 — 108 — 0.971 मे से 0.481 — पूर्वी दिशा
रहन जमाबंदी अनुसार — 0.324 — 0.324
6- दाखीबाई पत्नी भैरूलाल — 40/511 — 106
7- नानालाल पुत्र मोहनलाल — 13/146 — 107 — 0.243 — 0.243
रहन जमाबंदी अनुसार — 0.591 — 0.591
8- नानीबाई पुत्री भूरा — 24/511 — 110
9- प्यारा पुत्र भूरा — 24/511 — 111 — 0.219 — 0.219
रहन जमाबंदी अनुसार — 0.300 — 0.300
10- प्रभुलाल पुत्र मोहनलाल — 2/73 — 113
11- प्रेमबाई पुत्री श्योराम — 4/73 — 116 — 0.494 — 0.494
12- बक्षुलाल पुत्र नन्दलाल — 6/73 — 93 — 0.024 — 0.024
रहन जमाबंदी अनुसार — 0.364 — 0.364
13- मोड़ा पुत्र भूरा — 24/511 — 98
14- लादुलाल पुत्र नन्दलाल — 6/73 — 112 — 0.251 — 0.251
रहन जमाबंदी अनुसार — 0.550 — 0.550
15- शंकरलाल पुत्र रामा — 4/73
16- शंकरलाल पुत्र मोहनलाल — 13/146
रहन जमाबंदी अनुसार
17- बालीबाई पुत्री नन्दलाल — 6/73
रहन जमाबंदी अनुसार

समस्त जाति चमार सा0देह खातेदार

कीता–15 — 6.158 हैक्टर

उपरोक्त अनुसार खाता राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है साथ ही प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादीगण के हिस्से में एवं कब्जे काश्त में जबरन दखलंदाजी न तो स्वयं करें न अन्य किसी से करावें। वादीगण की फसल को नुकसान नही पहुंचावें।

यह अंतिम डिक्री आज दिनांक 20.12.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई ।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलेक्टर
सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूं
बेगूं (चित्तौड़गढ़)
दिनांक ::–

क्रमांक/सरिश्ता/2024/

वाद संख्या 5/2017 व अनवान भगवानलाल बनाम श्रीमति मोहनीबाई वगै. वाद अ.धा. 53–188 राज0काश्त अधि0 में जारी अंतिम डिक्री की प्रति तहसीलदार बेगूं को पालनार्थ दी जाती हैं।

सहायक कलेक्टर
सहाय कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूं
बेगूं (चित्तौड़गढ़)